उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-7/2019/401/एक-1-2019-रा0-1

लखनऊः दिनॉक: 25 जून, 2019

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-1254/डी0एल0आर0सी/2018-19 दिनांक-28/01/2019 के आलोक में जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम सुथियाना तहसील व जनपद- गौतमबुद्धनगर स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा संख्या-865 रकबा 0.0780 हे0 में से 0.0112 हे0, गाटा संख्या-877 रकबा 0.0660 हे0 में से 0.0186 हे0 जो नाली के रूप में दर्ज है तथा गाटा संख्या-876 रकबा 0.242 हे0 में से 0.0744 हे0 जो सेक्टर मार्ग के रूप में दर्ज है अर्थात् कुल 03 किता कुल रकबा 0.1042 हे0 का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन कर श्री अजीत डोवाल पुत्र श्री गुणानन्द डोवाल व डोवाल बेनवालेंट ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी श्री शौर्य डोवाल के नाम दर्ज भूमि गाटा संख्या-864 रकबा 0.311 हे0 में से रकबा 0.0330 हे0 व गाटा संख्या-866 रकबा 0.815 हे0 में से 0.0712 हे0 अर्थात् कुल 02 किता कुल रकबा 0.1042 हे0 से धारा-101 के उपधारा-(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय कर नाली व सेक्टर मार्ग के रूप में सुरक्षित किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैंः-

(1)- ग्राम सुथियाना, तहसील व जनपद-गौतमबुद्धनगर की सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमि गाटा संख्या-865/0.0780हे0 रकबा में से 0.0112हे0, 877/0.0660हे0 रकबा में से 0.0186हे0 (नाली) तथा 876/0.242हे0 में से 0.0744हे0 (सेक्टर मार्ग) कुल तीन किता रकबा 0.1042हे0 भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय कृषि कार्यों में सुविधा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। आवेदकों से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2)- आवेदकों द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

(3)- ग्राम सुथियाना, तहसील व जनपद-गौतमबुद्धनगर स्थित श्री अजीत डोवाल पुत्र श्री गुणानन्द डोवाल व डोवाल बेनवालेंट ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी श्री शौर्य डोवाल की संक्रमणीय भूमि गाटा संख्या-864/0.311हे0 में से रकबा 0.0330हे0 गाटा संख्या-866/0.815हे0 में से रकबा 0.0712 कुल दो किता रकबा 0.1042हे0 की भूमि का विनिमय किया जायेगा।

http://gnasandesh.up.gov.in

-2-

(4)- कलेक्टर द्वारा ग्राम सुथियाना, तहसील व जनपद-गौतमबुद्धनगर स्थित विनिमय में प्राप्त भूमि गाटा संख्या-864/0.311हे0 में से रकबा 0.0330हे0 गाटा संख्या-866 /0.815हे0 में से रकबा 0.0712 कुल दो किता रकबा 0.1042हे0 को नाली व सेक्टर मार्ग के रूप में सुरक्षित रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(5)- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के सह-खातेदारों की प्रस्तावित विनिमय हेतु सहमति है।

(6)- लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(7)- कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-7/2019/401(1)/ एक-1-2019-रा0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर0वी0 सिंह
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in